© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

अंग्रेजों द्वारा राजा नाहर सिंह पर फांसी की कार्यवाही : एक अध्ययन

Bijender Singh, Dr. Yasir Bashir
Research Scholar
bsyadav.1rewari@gmail.com

सार : 19वीं0 सदी के मध्य में हुई 1857 की क्रांति में पूर्वी दिल्ली की कमान बल्लभगढ के राजा नाहर सिंह के कन्धों पर थी। उन्होने यहा अंग्रेंजी सेना का डटकर मुकाबला किया लेकिन पूर्वी दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों पर मुगल फौज अंग्रेजी सेना के आक्रमण को रोकने में असफल रही परिणामस्वरुप दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने उन पर मनगढंत आरोप लगाकर फांसी दे दी गई। लेकिन राजा नाहर सिंह ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए और अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

क्रांति के दौर में अंग्रेज सेनापति शावर्स ने 23 सितम्बर 1857 को राजा नाहर सिंह को गिरफतार कर लिया। दिनांक 06 दिसम्बर 1857 को दिल्ली लाकर लाल किलें में कैद कर दिया गया।[1] उसके कोर्ट कार्यवाही हेतु 19 दिसम्बर 1857 को राजा नाहर सिंह को अदालत के सम्मुख पेश किया गया। सुबह 11 बजे फौजी अदालत के सामने सभी जजों के नाम पढ़कर सुनाये गए। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपको फौजी कोर्ट से कोई ऐतराज है। नाहर सिंह का उत्तर – मुझे कोई ऐतराज नही।[2] उसके बाद कोर्ट के सभी अधिकारियों द्वारा शपथ लेते हुए उन पर लगाए गए आरोपों का आरोप पत्र पढ़ा गया–

"राजा नाहर सिंह ने 10 मई 1857 से 01 दिसम्बर 1857 तक अंग्रेजी सरकार का नागरिक होते हुए भी उनके विरुद्व विद्रोहों करने वालो के साथ देशद्रोही पत्राचार कर लिया। उसने क्रांतिकारियों को अंग्रेजो के खिलाफ भड़काया व उनकी सहायता की। उनको घुड़सवार व पैदल सेना की सप्लाई की। धन, रसद व हथियार भेजकर सहायता की। पलवल में सैनिक दस्ते भेजकर उस इलाके पर अनाधिकृत रुप से कब्जा किया जबकि वह अंग्रेजी नियंत्रण में था। उसमें अंग्रेजों की स्वामीभक्ति छोड़कर उनके विरुद्व युद्व लड़ने का संगीन जुर्म किया, जो कि भारत की विधान परिषद के 16वें एक्ट के तहत बहुत ही खतरनाक एवं संगीन जुर्म है"। – मेजर हैरियट, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, सरकारी प्रोसीक्यूटर।[3]

प्रश्न – बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, आप पर जो आरोप लगाए गए है, क्या आप उनके लिए अपने आप को दोषी एवं अपराधी मानते हैं ?[4]

1 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, राम सिंह जाखड़, अभिलेखागार विभाग हरियाणा, 1999, पेज स0 63
2 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
3 वही
4 वही

ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

उत्तर – नहीं।

अदालत द्वारा कार्यवाही शुरु की गई। कोर्ट द्वारा गुडगांव के मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया। जब वे गवाही के लिए आए तो कोर्ट ने उनको शपथ दिलवाई। कोर्ट ने उनसे प्रश्न्न किया,

प्रश्न – क्या आपको जानकारी हैं कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने विद्रोह के दौरान पलवल तहसील पर कब्जा किया था ?

उत्तर – हॉ।, उसने 20 मई या उसके आस पास जिला खजाना पलवल पर अधिकार किया था। मै 20 मई को होड़ल पहुंचा था हालांकि उसे मेरे पहुंचने की खबर थी। फिर भी उसने 24 या 25 मई तक पलवल कस्बे पर अधिकार करने की कोई सूचना मुझे नहीं दी। उसने तब मुझे धोखा देने के लिए अंग्रेजी पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा था कि मै पलवल खजाने में उस द्वारा नियुक्त किए गए आदमियों के लिए उसको दोषी न मानूॅ। मैने तत्काल वह पत्र आगरा के उप गवर्नर मिस्टर कोल्विन को भेज दिया और राजा नाहर सिंह को भी जवाब भेज दिया कि मेरे साथ आप आम दिनों की तरह पत्राचार करते रहे और पलवल में उनके द्वारा नियुक्त आदमियों की सूची भेजें। मुझे इस पत्र का कभी भी जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त उसने अपना घुड़सवार दस्ता भेजकर फतेहपुर के छोटे कस्बें पर भी अवैध रुप से कब्जा कर लिया जबकि पलवल और फतेहपुर ब्रिटिश इलाके हैं। मुझे पलवल में उसके सिपाही नही दिखाई दिए क्योंकि मेरे होड़ल आने पर उसने वहा से अपने सिपाही हटा दिए थे परन्तु मैने फतेहपुर में उसके सिपाही देखें थे।

प्रश्न – क्या अंग्रेज सरकार के अफसरों द्वारा सहायता मांगने पर राजा उनको सहायता देने के लिए बाध्य व जिम्मेवार था ?

उत्तर – मैं पुरी तरह स्पष्ट रुप से नहीं कह सकता कि सरकार के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां थी। मैने उसको 11 मई को सहायता के लिए पत्र भेजा परन्तु उस पत्र का जवाब नहीं मिला।

प्रश्न – क्या जब राजा के किलें पर कब्जा किया गया तो आप उस समय बल्लभगढ़ में थे ?

उत्तर – हॉ।

प्रश्न – क्या आपने वहां अंग्रेज सिपाहियों की पोशाकें व कोई सरकारी सामान देखा ?

उत्तर – हॉ। मैने वहां तीसरी व छठी भारतीय रेगुलर कैवलरी की पोशाकें देखी व पैदल सेना की वर्दियां भी देखीं। मै पूरी तरह से तीसरी कैवलरी की पोशाकों का विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता परन्तु मेरे साथ कैप्टन एंजल था जिसने कहां कि यहां तीसरी कैवलरी की वृद्वियां कैसे है और उसे कोट से गिरा हुआ एक छुटी का प्रमाण पत्र मिला, उसे पढ़ा। उस पर उसके चाचा के हस्ताक्षर थे। जिससे उसने पहचान लिया कि यह तीसरी कैवलरी का ही हैं। एक दूसरे अफसर ने पैदल 32वीं अंग्रेज फौज की पोशाकें भी देखी। वहां पर बन्दूकें व रायफलें भी देखी।

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

प्रश्न – क्या आपने बल्लभगढ़ के किलें में कोई बड़ा क्रांतिकारी देखा ?

उत्तर – उस अहातें में, जिसमें राजा के अपने नौकर रहते थे उसमें कई आदमी देखे गए। यह अहाते किलें के अंदर गेट के पास है जिस पर राजा ने स्वयं कब्जा कर रखा था। मैने वहां केवल आगरा के व्यापारी खैरत अली से बात की जिसने मेरे सामने कहा कि आगरा सरकार नें विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण उसकी सम्पति जब्त कर ली है। इसके अतिरिक्त वहां दिल्ली पुलिस के विद्रोह के दौरान नेटिव सुपरिन्टैंडैंट रहे व्यक्ति को भी देखा ओर दिल्ली के शाही परिवार के तीन सदस्य वहां ठहरें हुए थे।

प्रश्न – आप कहते है कि पुलिस के सुपरिन्टैंडैंट को बंदी बना लिया गया था तो उसकी जगह विद्रोहियों ने किसको नामजद किया है ?

उत्तर – मै नहीं जानता।

प्रश्न – फतेहपुर में जो सवार आपने देखे, क्या उन्होंने आपका विरोध या मुकाबला किया ? क्या उन्होंने कोई शासन की घोषणा की ?

उत्तर – मेरी फौजी टुकड़ी का आपके सवारों ने कोई विरोध या मुकाबला नही किया परन्तु उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इलाके वाले कस्बें पर अधिकार कर लिया था। मेरे ख्याल से सवारों में राजा के शासन की घोषणा नहीं की थी। मैं तो केवल वहां से गुजर रहा था, मैं वहां नहीं ठहरा। मैं इस स्थिति में नही था कि सवारों को कस्बे से बाहर निकाल सकूं।

प्रश्न – क्या कोई सवार आपको सलामी देने के लिए आपके पास आया क्योंकि आप साधारण रुप से वहां से गुजर रहे थे ?

उत्तर – मेरी पार्टी मोहना से सोहना जा रही थी और फतेहपुर पहुंचने से पहले राजा को दो या तीन गांवों से गुजरना पड़ा। इसलिए मैने पहले ही एक दो सवार राजा के दो या तीन सवारों को बुलाने के लिए भेज दिए जिनकों मैं जानता था जो नजदीक के गांवों में तैनात थे और वे दूसरे सवारों के साथ सड़क पर थे। वे तब तक हमारें साथ रहे जब तक हम राजा के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलें। मुझे याद नहीं की उन्होंनें मुझे सलामी दी या नहीं परन्तु उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया।

प्रश्न – क्या राजा की दूसरें के इलाकों पर कब्जा करने की आदत बन चूकी थी ? क्या इससे पहले भी आपके जिलें में राजा के सवारों ने किसी दूसरें स्थान पर इसी तरह कब्जा किया था ?

उत्तर – नहीं मुझे याद नहीं।

प्रश्न – क्या राजा नाहर सिंह ने अपने 24 या 25 मई के पत्र में पलवल पर कब्जा करनें का कारण बतलाया ?

उत्तर – जहां तक मुझे याद आता है उसने कहां कि हमारी सरकार की ओर से भी उसने पलवल पर कब्जा किया।

ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

प्रश्न – होडल और बल्लभगढ़ में कितनी दूरी है ? आप यह कैसे मानते हैं कि राजा को आपके होडल में उपस्थित होने की जानकारी अवश्य थी ?

उत्तर – होडल बल्लभगढ़ से लगभग 32 मील की दूरी पर है। राजा बल्लभगढ़ से मथुरा जाने वाली सड़क पर लगातार निगरानी रखे हुए था। मैने 14 मई की सुबह होडल की पलवल साईड में 5 मील की दूरी के अंदर राजा के दो ऊंट सवार देखे। मुझे यहीं आदमी 15 या 16 मई को मथुरा में मिले।

प्रश्न – पलवल, फतेहपुर और अंग्रेजों के अधिकार वाले दूसरें इलाकें जिन पर राजा के सवारों ने कब्जा कर लिया था, क्या ये इलाकें पहले भी कभी उसके अधिकार में रहे थे। ?

उत्तर – मैंने जो जांच पड़ताल की है, उससे पता चलता है कि इससे पहले वाले दिल्ली के मुगल सम्राट के समय राजा के पूर्वजों ने उन इलाकों पर कब्जा व अधिकार कर लिया था।[5]

कोर्ट ने उपरोक्त ब्यान दर्ज किए। उसके बाद 49वीं नेटिव इन्फैन्टरी के कैप्टन हुड को कोर्ट में बुलाया गया और उससे शपथ उठवाई गई।[6]

प्रश्न – जब बल्लभगढ़ किलें को कब्जें में लिया गया, क्या उस समय आप बल्लभगढ़ में थे ?

उत्तर – हॉ, मै वही था।

प्रश्न – आप यह बताए कि आपने वहां क्या क्या देखा ?

उत्तर – मुझे यह याद आता है, शायद 01 नवम्बर 1857 को ब्रिगेडियर शावर्स की फौजी टुकड़ी वहां से कूच कर गई और मुझे वहां की देखभाल की जिम्मेवारी दी गई थी। खोजबीन करने पर मुझे पता चला कि किला अच्छी हालात में नही था परन्तु किलें की भारी दीवार की ताजा मरम्मत की गई थी। वहां 9 तोपें थी जिन्में से चार या पांच तोपें अच्छी हालात में थी जो काम में आ सकती थी। कई छकड़ा गाड़ियों में काफी अंगूर थे उनमें काफी मात्रा में गोला बारुद छुपाया हुआ था। वर्कशाप में काफी मात्रा में तोप गाड़ियां थी, कुछ तो अभी अभी ही तैयार की गई थी, कुछ तैयार की जा रही थी। किलें में कई दूसरें साजों सामान भी थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी की जो रेजिमेन्ट दिल्ली में रही थी, ज्यादातर हथियार उन्ही के थे। कुछ 32वीं क्वींज के और कुछ घुड़सवार तोपखानें के थे। वास्तव में सभी किस्म के हथियार व साजों सामान था। इन आदमियों ने स्पष्ट रुप से किलें की बैरकों पर कब्जा कर रखा था और साजों सामान उनकें घरों में रखा हुआ था।

प्रश्न – क्या दिल्ली का कोतवाल बल्लभगढ़ के किलें से मिला ?

---

5 वही
6 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 67

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

उत्तर – हॉ, वह बल्लभगढ़ के किलें में था। मैं उसका नाम नहीं जानता परन्तु मुझे सूचित किया गया कि वह उनमें से एक था जिनको विद्रोहियों ने प्रस्ताव भेजा था। उसको किले के तहखाने में ले जाया गया।

प्रश्न – क्या किले से किसी दूसरे बड़े विद्राहियों को पकड़ा गया ?

उत्तर – नहीं, मैं नहीं जानता। परन्तु कुछ खास व्यक्ति मेरे हवाले किए गए थे जो विद्रोह में शामिल थे।

प्रश्न – आप ये कैसे मानते है कि साजो सामान ईस्ट इंडिया कम्पनी का था, जो बल्लभगढ़ के किले में था और आप यह क्यों सोचते हैं कि वे विद्रोही थे ?

उत्तर – क्योंकि उनकी थैलियों और जेबों में अभी भी गोला बारुद था, भिन्न–भिन्न घरों में सरकारी गोला बारुद के बक्से रखे हुए थे क्योंकि मुझे रेजीमेंटों के नम्बरों व चिन्हों की पहचान है, जो कि मैने सैनिक साज सामान पर देखे। मुझे वही चीजें जमीन पर भी मिली और दूसरी चीजें कुएं व तालाबों से मिली। ये एनीफिल्ड रायफलें थी, जबकि मेरा विश्वास है कि ये देशी राजाओं व नवाबों की फौज के पास आमतौर से नहीं थी।

प्रश्न – क्या वहां उपस्थित टुकड़ियों ने जब ब्रिटिश फौज किले में पहुंची, उसका विरोध या मुकाबला किया ?

उत्तर – नहीं, वहां विरोध करने वाला कोई नही था।

प्रश्न – क्या राजा के किले की बैरकें ऐसी हालात में थी, जिससे यह प्रतीत होता हो कि किले को अभी–अभी कब्जे में लिया गया है ?

उत्तर – निःसंदेह, क्योंकि वहां कई ऐसे सामान थे जिनका प्रयोग देशी फौजों के सिपाही करते हैं, उनके पहनने का सामान सिपाहियों के किट का कुछ सामान जैसे नीली डाई व शिविरों में चारपाईयां थी।[7]

कोर्ट ने उपरोक्त ब्यान दर्ज किए। तीसरे गवह मैटकॉफ को कटघरे में बुलाकर शपथ दिलाई गई।[8]

प्रश्न – क्या जब किले पर कब्जा किया गया आ बल्लभगढ़ में थे ?

उत्तर – नहीं, उसके कुछ समय बाद वहां था।

प्रश्न – क्या उस समय आप ने राजा से व्यक्तिगत स्तर पर पत्र व्यवहार किया ?

---

7 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
8 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 68

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023
DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

उत्तर – नहीं, उसको दिल्ली ले जाया जा चुका था।

प्रश्न – क्या उसने कभी बल्लभगढ़ में हुई किसी यूरोपियन की हत्या की कोई सूचना दी ?

उत्तर – कभी नहीं दी।

प्रश्न – क्या आप जानते हैं कि उसने किसी दूसरे को ऐसी सूचना दी हो ?

उत्तर – मुझे मालूम नहीं है कि उसने किसी को कोई सूचना दी या नहीं।

प्रश्न – क्या आप बता सकते है कि 10 मई 1857 से 1 दिसम्बर 1857 के बीच अंग्रेजों के प्रति राजा नाहर सिंह का व्यवहार कैसा रहा ?

उत्तर – मेरे 15 जून को ब्रिटिश कैम्प में पहुचंने के बाद राजा का एक नौकर आम शिकायतें लेकर मेरे पास आया। मैं उसको मिस्टर ग्रीथ्ड के पास ले गया। उसके बाद ग्रीथ्ड के आदेश से राजा ने अपना वकील उसके पास भेज दिया। वह वकील लगभग 15 दिन तक ब्रिटिश कैम्प में रहा, फिर ग्रीथ्ड ने उसको कह दिया कि उसकी वहां कोई जरुरत नही है क्योंकि ग्रीथ्ड को यह शक हो गया था कि यह एक जासूस है।

प्रश्न – क्या आपने या मिस्टर ग्रीथ्ड ने कभी राजा को कोई कार्य सौंपने के लिए अपने पास बुलाया, क्या उसने आज्ञा मानी ?

उत्तर – उसको विभिन्न स्थानों पर चिटि्ठयां भेजकर संदेश भ्जिवाने हेतु बुलवाया था। जब दो सन्देशवाहक भेजने के बाद भी वह नहीं आया तो मिस्टर ग्रीथ्ड उससे बहुत नाराज हो गए थे।

प्रश्न – क्या राजा से सेवा व सहायता मांगने पर वह सरकार की सहायता करने के लिए बाध्य था ?

उत्तर – निःसन्देह, वह सहायता के लिए बाध्य था क्योंकि जागीर उसकों पूर्वजों को इस शर्त पर दी गई थी कि वे दिल्ली व मथुरा के बीच अच्छी पुलिस प्रणाली स्थापित करे क्योंकि ठगों व लुटरों के कारण यह सड़क पहले से खतरनाक एवं बदनाम थी।

प्रश्न – बल्लभगढ़ में राजा की कितनी फौज थी ?

उत्तर – उसकी एक रैगुलर इन्फैन्ट्री रेजिमेंट थी और लगभग 100 सवार थे। उनकी वर्दियां व साज सज्जा हमारी रेगुलर कैवलरी जैसी ही थी। मुझे उसके पे–मास्टर के द्वारा सूचना मिली की विद्रोह के दौरान एक अलग रेजिमेन्ट भी तैयार कर ली थी।[9]

---

9 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55

ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

कोर्ट ने उपरोक्त ब्यान दर्ज किए।चौथे गवाह के रुप में राजा नाहर सिंह के कर्मचारी मोहम्मद बक्श, वेतन अधिकारी को बुलाया गया। जज एडवोकेट ने कोर्ट को फारसी व हिन्दुस्तानी भाषा में लिखे गए 23 विशेष पत्र पेश किए गए।[10]

प्रश्न – क्या आप हाथ की लिखाई व इस पर लगी मोहरें पहचान सकते हो ?

उत्तर – इनमें से कुछ पत्र राजा की उपस्थित में व राजा के आदेशानुसार मैंने ही लिखे थे। उनमें प्रत्येक पर राजा की मोहर लगी हुई है। जो चिट्ठी राजा की अनुपस्थिति में लिखी गई थी, उनकी मोहरें पहचानने के लिए ग्रीथ्ड, वे पत्र राजा के पास ले जाता है। राजा नाहर सिंह का अंग्रेजी लेखक आमतौर से दिल्ली में रहता था, लेकिन विद्रोह होने के 7 या 8 दिन बाद बल्लभगढ़ चला गया था। लगभग 15 या 16 दिन बल्लभगढ़ रहा।उसके बाद राजा की विद्रोही सेना ने उसकी हत्या कर दी। कुछ पत्र ऐसे हैं जिनका पता नहीं चलता कि किसने लिखे हैं, परन्तु उन पर राजा की मोहर लगी है। कुछ पत्र धर्मचंद ने लिखे हैं, जिन पर राजा की मोहर लगी हुई है। धर्मचंद, बल्लभगढ़ के माल व पुलिस विभाग का मुख्य लेखक था। दूसरे पत्रों के बारे में मैं कुछ नही जानता।[11]

राजा नाहर सिंह को जिरह करने के लिए कहा गया लेकिन राजा नाहर सिंह ने जिरह करने से इन्कार कर दिया।[12] 21 दिसम्बर, 1857 को सोमवार के दिन 11 बजे पुनः कोर्ट बैठती है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। इस दिन राजा नाहर सिंह के लेखक शुगन चंद को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट द्वारा उनको कुछ पत्र दिखाए जाते हैं।[13]

प्रश्न – क्या आप पहचान सकते हैं कि यह लिखाई और मोहर किस–किस की है ?

उत्तर – यह लिखाई मेरी है और मोहर बल्लभगढ़ के राजा के रिकार्ड कीपर मौलवी अहमद अली की है।

प्रश्न – आपने क्यों और कैसे लिखा ?

उत्तर – मौलवी अहमद अली के आदेश से लिखा गया।

प्रश्न – राजा नाहर सिंह ने जिरह के दौरान गवाह न0 5 से पूछा कि क्या आपको ऐसा पत्र लिखने का मुझ से कोई आदेश मिला था ?

उत्तर – नहीं।

प्रश्न – क्या आप राजा नाहर सिंह की तरफ से मौलवी के निर्देश से ही लिखते थे ?

---

10 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 69
11 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
12 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 70
13 वही

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

उत्तर – मैने विद्रोह शुरु होने के बाद मौलवी के आदेश से दो या तीन पत्र ही लिखे है।

प्रश्न – क्या मौलवी अहमद अली की राजा की तरफ से पत्र लिखने की आदत सी बन गई थी ?

उत्तर – हॉ।[14]

उसके बाद कोर्ट के द्वारा छठा गवाह के रुप में मुंशी जीवनलाल को बुलाया गया। मुंशी जीवनलाल दिल्ली के लैफ्टीनैंट गवर्नर का एजेन्ट था।[15] उनसे प्रश्न्न उत्तर किया गया।

प्रश्न – क्या आप इन पत्रों की लिखाई व मोहर पहचान सकते हैं ?

उत्तर – मोहर मुझे मुगल सम्राट के पुत्र मिर्जा मुगल की लगती है, परन्तु लिखाई नही पहचानी जाती। दोनों चिट्ठी एक ही आदमी की लिखी हुई मालूम पड़ती है।[16]

राजा नाहर सिंह जिरह से इन्कार कर देते है।[17] कोर्ट द्वारा सातवें गवाह के रुप में हसन उल्ला खान को बुलाया गया। हसन उल्ला खान मुगल सम्राट का चिकित्सक था।[18]

प्रश्न – क्या आप यह पहचान सकते हैं कि यह लिखाई व मोहर किस–किस की है ?

उत्तर – मैं नहीं जानता कि यह किसने लिखे हैं, दोनों पत्र एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे मालूम होते हैं और मोहर मिर्जा मुगल की है यदि यह पत्र किसी पहले वाले लेखक के होते तो मैं पहचान लेता परन्तु विद्रोह होने के बाद कई नए आदमी नौकरी पर रख लिए गए, उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है।

प्रश्न – जब राजा ने अंग्रेजी क्षेत्र के पलवल व दूसरे स्थान कब्जाए, क्या ये मुगल सम्राट के पक्ष में कब्जाए गए या अंग्रेजी मित्रता के पक्ष में कब्जाए गए ?

उत्तर – मुझे इस बारे कोई ज्ञान नहीं।

प्रश्न – क्या आपने विद्रोह के दौरान बल्लभगढ़ के राजा के वकील को मुगल सम्राट के दरबार में देखा ?

उत्तर – हॉ, उसका नाम मौलवी अहमद अली है और वह कई बार दरबार में आता था।

प्रश्न – आपने उसको कितनी बार मुगल सम्राट के दरबार में देखा है ?

उत्तर – पांच या छः बार।

---

14 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
15 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 70
16 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
17 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 70
18 वही, पेज स0 71

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

प्रश्न – आप कैसे जानते हैं कि अहमद अली बल्लभगढ़ के राजा का वकील था ?

उत्तर – सबूत बिल्कुल स्पष्ट हैं राजा नाहर सिंह भी इससे इन्कार नही करेगा। सरकारी वकील ने बहादुरशाह जफर तथा राजा नाहर सिंह के बीच, विद्रोह के दौरान हुअ पत्राचार कोर्ट के सामने पेश किया और साथ ही यह भी बताया कि इन पत्रों पर किसकी मोहर है तथा लेखक कौंन–कौन हैं, और लेखकों को गवाह के तौर पर पेश किया गया। इसका भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि बहादुरशाह जफर एवं उनके परिवार के व्यक्ति तथा राजा नाहर सिंह कितनी बार, कब–कब और कहां–कहां मिले थे। यह भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि राजा नाहर सिंह ने जिला पाली पर भी कब्जा करने का प्रयत्न किया, जो पहले इनके पूर्वजों के अधीन था। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील ने गवाहों द्वारा यह भी साबित किया कि बहादुरशाह जफर और राजा नाहर सिंह व फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान तथा नवाब बहादुरगढ़ (दादरी) बहादुर जंग ब्रिटिश सरकार के विरुद्व विद्रोह की साजिश इक्कट्ठे होकर करते रहे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित गवाह ओर पेश किए गए– नरेश चंद व ज्वाला नाथ, अमीचंद, राजा का रिकार्ड कीपर, अहमद अली, लैफ्टीनैंट कोगहील अंग्रेज अधिकारी, माधव नारायण, ब्रिगेडियर शावर्स, सिपाही धन्ना सिंह, सी बी सांडर्स, बलदेव इत्यादि।[19]

उसके बाद राजा नाहर सिंह के बचाव पक्ष द्वारा कोर्ट में निम्न विवरण दिए गए। उनके बचाव पक्ष के रुप में उनके वकील आर एम कोर्टनी थे। कोर्ट ने उनसे राजा नाहर सिंह द्वारा गवर्नर जनरल लार्ड को दिनांक 15 जून 1857 को दिल्ली की घटनाओं बारे लिखा गया पत्र पर जवाब मांगा।[20]

वकील ने कोर्ट को बताया कि राजा नाहर सिंह अपने कर्मचारियों के दबाव में थे, क्योंकि दिल्ली, बल्लभगढ़ और पलवल सहित अनेक जगहों पर विद्रोहियों का बोलबाला था। इसलिए यह पत्र लिखना उसकी मजबूरी थी और इसके अतिरिक्त मुगल बादशाह बहादुरशाह के पास 40 या 50 हजार की शक्तिशाली सेना दिल्ली में थी, जिसका यह भी एक कारण था।[21]

दूसरें इल्जाम पर वकील ने कोर्ट को बताया कि मेरे मुवक्किल ने विद्रोहियों को सैनिक, हथियार व रसद से कोई सहायता नहीं दी, परन्तु देहली में पुराने किले के पास कुछ घुड़सवार देहली के हालात की देखरेख के लिए अवश्य रखे हुए थे, ताकि नाहर सिंह को दिल्ली की गतिविधियों बारे जानकारी मिलती रहे।[22]

तीसरे इल्जाम के बारे में वकील ने बताया कि राजा नाहर सिंह पर पलवल और इसके आस पास ब्रिटिश इलाके पर अवैध कब्जे का आरोप निराधार है, क्योंकि 15 जून 1857 को राजा नाहर सिंह द्वारा गवर्नर जनरल, भारत सरकार, लैफिटीनैंट गवर्नर जनरल आगरा और ब्रिटिश कमांडिंग इन चीफ को जो पत्र लिखे गए उनमें लिखा है कि मैं आपको इस समय जो हालात दिल्ली में घट रहें हैं उनकी सूचना भेज रहा हूं। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारियों व ईसाइयों को बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोहियों द्वारा कत्ल कर दिया गया और मुगल बादशाह ने अपने रिश्तेदारों को विद्रोहियों का अधिकारी नियुक्त कर

19 वही, पेज स0 72
20 वही
21 वही
22 वही

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

दिया है। पलवल आदि इलाके जो मेरे इर्द–गिर्द हैं उन पर मैंने कब्जा उनकी सुरक्षा के लिए किया है। मेरी पहले की तरह आपके साथ सद्भावना है।[23] इसके बाद बचाव पक्ष के रुप में यूरोपियन कैदी एडवर्ड बूरा को पेश किया गया जो कि राजा नाहर सिंह के बैंड का इन्सपैक्टर था।[24]

राजा नाहर सिंह ने उससे प्रश्न्न उत्तर किया।

प्रश्न – क्या मैंने विद्रोहियों को सैनिक सामग्री दी ?

उत्तर – मुझे पता नहीं है।

प्रश्न – क्या मैंने विद्रोहियों को फौज भेजी ?

उत्तर – मुझे पता नहीं।

प्रश्न – क्या मैंने आसपास के इलाकों पर कब्जा करने के लिए सैनिक भेजे?

उत्तर – मैंने यह सुना है कि पलवल में आप द्वारा सैनिक भेजे गए थे और उन्होंने पलवल पर कब्जा कर लिया, परन्तु कुछ दिन खाना न मिलने के कारण वापिस आ गए।[25]

उसके बाद कोर्ट द्वारा बूरों से प्रश्न्न उत्तर किया।

प्रश्न – क्या जब आप बल्लभगढ़ के किले में थे तो आपके साथ मिस्टर मुनरो भी ?

उत्तर – हां।

प्रश्न – जब मिस्टर मुनरो का कत्ल किया गया तब बल्लभगढ़ के प्रशासक कौन थे ?

उत्तर – मोहन सिंह और खुशाल सिंह के हाथों में बल्लभगढ़ का प्रशासन था।

प्रश्न – तब आप कैसे बच गए ?

उत्तर – विद्रोहियों में पुराने परिचित थे, उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ तो आपको छोड़ दिया जाऐगा और मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया।

प्रश्न – क्या आपको राजा नाहर सिंह तथा उसकी सेना के बीच कोई मतभेद मालूम हुआ ?

---

23 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
24 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 73
25 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

उत्तर – जब मथुरा से विद्रोहियों की दो कम्पनी खजाना लेकर दिल्ली की तरफ आ रही थी तब राजा ने अपने सैनिकों से उनका खजाना लुटने तथा उन्हें मारने के लिए। लेकिन सैनिकों ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि क्या आ ईसाई बन गए हो ?

इसके बाद राजा ने मोहन सिंह व खुशाल सिंह को, मथुरा से आने वाले सैनिकों के पास भेजा जो कि बल्लभगढ़ से एक मील की दूरी पर जा चूके थे। उन्होंने सैनिको से बल्लभगढ़ आने को कहा। लेकिन सैनिकों ने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद मोहन सिंह व खुशाल सिंह जो बागियों के नेता बन गए थे उन्होंने राजा नाहर सिंह से मिस्टर मुनरो फिरंगी, जो उस समय बल्लभगढ़ के किले में था, को उनके हवाले करने के लिए कहा। लेकिन राजा ने कहा कि इसको मारो मत और इसे अपने इलाके से बाहर निकाल दो।

प्रश्न – क्या आपने राजा नाहर सिंह के किले में तोपें भी देखी ?

उत्तर – हां, कुछ पुरानी तोपें भी थी और कुछ नई ढ़ाली गई थी।

प्रश्न – क्या विद्रोह के दौरान राजा ने नई तोपें बनवाई ?

उत्तर – विद्रोह के दौरान नहीं बनवाई बल्कि कुछ विद्रोह के नौ महीने पहले तथा कुछ दो महीने पहले बनवाई थी।

प्रश्न – राजा को नई तोपें बनवाने की क्या जरुरत पड़ी ?

उत्तर – मैं नहीं जानता, दो पुरानी तोपें तोड़ कर नई बनवाई थी।

प्रश्न – क्या राजा ने विद्रोह से पहले या विद्रोह के समय कोई गोला बारुद आदि किसी को भेजा ?

उत्तर – लगभग, विद्रोह के दो महीने पहले।[26]

उसके बाद कोर्ट को दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।[27] 30 दिसम्बर 1857, बुधवार दोबारा आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट की कार्यवाही शुरु हुई।[28] राजा नाहर सिंह और उसके वकील कोर्टनी कोर्ट में पेश होते हैं। वकील ने कमिश्नर आगरा द्वारा दिल्ली के कमिश्नर को भेजा गया पत्र जिसका क्रमांक 8 दिनांक 17 दिसम्बर 1857, को दिखया गया। पत्र में लिखा गया था कि,

" जब मै भरतपुर, जयपुर और अलवर के राजाओं के साथ था तब मुझे राजा नाहर सिंह द्वारा लिखित कई पत्र मिले थे।, जिसमें उसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी और बागियों का डर दर्शाया था। जब मैं 20 मई से 23 जुलाई तक देशी रियासतों की टुकड़ी के साथ था, जब भरतपुर की बैरकों में 31 मई को विद्रोह हो गया तब मैं मोहना कस्बे में था, जो दिल्ली से 28 मील दक्षिण में है उस समय मेरे साथ

---

26 वही
27 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 74
28 वही

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

रेलवे तथा कस्टम विभाग के 28 अधिकारी भी थे। राजा नाहर सिंह ने मुझे बल्लभगढ़ में रुकने की प्रार्थना की लेकिन मैंने इंकार कर दिया। मैने राजा नाहर सिंह को यह भी लिखा कि 1803–4–5 में भरतपुर के विरुद्व ब्रिटिश सेना की सहायता करने के उपलक्ष्य में लार्ड लेक ने जो तुम्हारे पूर्वजों को जागीर प्रदान की थी, उनका ध्यान रखते हुए अब भी अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए। झज्जर, बहादुरगढ़ तथा लोहारु के नवाब यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता करते तो 15 मई से पहले ही बागियों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता या दिल्ली में ही वे भुखमरी से मर जाते। यहां पर यह लिखना भी जरुरी है कि राजा नाहर सिंह का भाई जो एक षडयंत्रकारी था वह भी राजा को विद्रोहियों में शामिल करने में असफल रहा" ।[29]

उसके बाद कोर्ट द्वारा गवाह माईकल, रेलवे इंजिनियर को कोर्ट में पेश किया गया। उनसे प्रश्न्न उत्तर किए गए ।[30]

प्रश्न – जब आप दिल्ली से बल्लभगढ़ आये तब राजा ने आपसे कैसा व्यवहार किया ?

उत्तर – जब मैं 5 अन्य आदमियों के साथ 11 मई को रात 10 बजे दिल्ली से बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा था और हमारा फर्रुखाबाद जाने का विचार था तब मुझे राजा नाहर सिंह दिल्ली और बल्लभगढ़ के बीच मिले और उन्होंने मुझे बल्लभगढ़ चलने को कहा। हमने उनकी बात मान ली तथा उन्होंने एक घुड़सवार हमारे साथ भेज दिया। जब हम बल्लभगढ़ पहुंचे उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया परन्तु विद्रोहियों के दबाव के कारण हमें नंगला गांव जो बल्लभगढ़ से 7 मील दूर है, जाने की सलाह दी। हम 12 मई को प्रातः 6 बजे नंगला पहुंचे। हम नंगला में पांच दिन रहे। वहां हमारा अच्छा ध्यान रखा गया। हम आगरा जाना चाहते थे लेकिन राजा ने कहा कि आगरा मथुरा में भी दिल्ली जैसी स्थिति है। मैं हर रात को बल्लभगढ़ जाकर विद्रोही की जानकारी लेता था। 14 मई को राजा का एजेन्ट मिस्टर मुनरो दिल्ली से साधु का वेश बदलकर बल्लभगढ़ आया था, वह भी मुझे मिला और मैने उसके सामने अपनी समस्याएं रखी क्योंकि नंगला गांव में हमें असुविधा थी, इसलिए मिस्टर मुनरो ने हमें वापिस बल्लभगढ़ आने की सलाह दी और अगले दिन हम नंगला से बल्लभगढ़ आ गए तथा एक प्राइवेट मकान में हमें ठहरा दिया गया। कुछ दिन बाद मिस्टर मुनरो ने हमें यहां से रात को 12 बजे चले जाने को कहा और हमारे लिए घोड़े भी तैयार कर दिए परन्तु मैंने इसका विरोध किया। इतने में राजा वहां पहुंच गया और उसने बताया कि दिल्ली से ऐसी सूचना मिल रही है कि आपका यहां रुकना उचित नहीं है। हमें मथुरा जाने के लिए ऊंट देने के लिए कहा और नंगला होते हुए हम अगली शाम मथुरा के लिए चल पड़े।

प्रश्न – नाहर सिंह ने पूछा कि मैंने इस स्थिति के बारे में लैफटीनैंट गवर्नर व कमांडिंग–इन–चीफ को अवगत कराने के लिए प्रार्थना की थी ?

उत्तर – मौखिक तौर पर नहीं, जहां तक मुझे याद है, आपने इस बारे में मुझै लिखकर दिया था ।[31]

29 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
30 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 75
31 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 04 | July - September 2023

DOI : https://doi.org/10.36676/irt.2023-v9i4-028

उसके बाद कार्यवाही को 02 जनवरी 1858 शनिवार तक स्थगित कर दी गई।[32] 02 जनवरी 1858 को कोर्ट की कार्यवाही शुरु होती है। सरकारी वकील ने राजा नाहर सिंह द्वारा अपने बचाव में जो गवाहियां व पत्र पेश किए उनको सारहीन करार दिया और कहा कि ,

"जो गवाह राजा नाहर सिंह ने पेश किए है, उनसे और उनके द्वारा सचिव गवर्नर जनरल, कमांडिंग–इन–चीफ व लैफटीनैंट गवर्नर आगरा को लिखे गए पत्र एक बनावट के आधार पर लिखे गए है ताकि अगर ब्रिटिश सरकार विद्रोह को दबाने में सफल हो जाए तो वह अपना बचाव कर सके। मौखिक गवाहियां देने वालों बयानों से भी यही साबित होता है कि राजा नाहर सिंह ने उनकी सहायता व्यक्तिगत सम्बंध होने के कारण की है और राजा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त हो जाये, ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके। राजा नाहर सिंह ने विद्रोहियों को सहायता देने और ब्रिटिश इलाके पर अवैध कब्जा करके ब्रिटिश वफादारी तोड़ दी इसलिए वह इन आरोपों के लिए दोषी है"।[33]

उसके बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया।[34]

"गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों से राजा नाहर सिंह पर लगाए गए आरोप सिद्व होते है और कोर्ट इन आरोपों के लिए नाहर सिंह को दोषी मानती है। कोर्ट इन दोषों के लिए राजा नाहर सिंह को फांसी की सजा देती है कि उसके गले में रस्सी डाल कर उसको तब तक लटकाए रखा जाए जब तक कि वह मर नहीं जाता व उसकी सभी प्रकार की सम्पति जब्त कर ली जाए"।[35]

कोर्ट का यह फैसला दिनांक 02 जनवरी 1858 को अनुमोदित किया गया और इस पर ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलेन, मेजर हैरियट और मेजर जनरल पैनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए।[36]

सरकार द्वारा दिनांक 09 जनवरी 1858 को चांदनी चौक कोतवाली दिल्ली में भारी पुलिस बल के बीचा राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी गई।[37] कोर्ट निर्णय के अनुसार सरकार ने राजा नाहर सिंह और उनके परिवार की सारी सम्पति जब्त कर ली।

इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा नाहर सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों और बहुमूल्य सम्पति की आहुति दी। जो कि आगे चलकर देश की आाजादी के लिए एक प्रेरणादायी सिद्व हुई।

---

32 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 75
33 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
34 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 75
35 विदेशी राजनयिक पत्र, पूर्वोद्वत, स0 51–55
36 1857 की जनक्रांति में हरियाणा का योगदान, पूर्वोद्वत, पेज स0 75
37 वही, पेज स0 77